"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 43] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 24 अक्टूबर 2014—कार्तिक 2, शक 1936

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 4 अक्टूबर 2014

क्रमांक एफ 1-13/2010/1-15.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री दिवाकर मिश्रा, भा. व. से. (1981), मुख्य वन संरक्षक, सतर्कता, रायपुर को दिनांक 24-05-2011 से अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक वेतनमान बैण्ड एच. ए. जी. 67000 (वार्षिक वेतन वृद्धि 3% की दर से)-79000 एवं ग्रेड वेतन शून्य में पदोन्नत करते हुए, इनकी सेवायें अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक साऊथ ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड (एस. ई. सी. एल.), बिलासपुर को प्रति नियुक्ति सेवा शर्तों के अतिरिक्त निम्नलिखित शर्तों पर प्रतिनियुक्ति पर सौंपता है :-

1. प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ अधिकारी का गोपनीय प्रतिवेदन संस्थान के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक द्वारा ही लेख किया जायेगा.
2. पदस्थ अधिकारी, अध्यक्ष सह निदेशक को सीधे रिपोर्ट करेंगे.
3. अधिकारी का मुख्यालय रायपुर रहेगा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.

नया रायपुर, दिनांक 4 अक्टूबर 2014

क्रमांक ई-1-04 2014/1/2.—राज्य शासन एतदद्वारा श्री रोहित यादव, भा. प्र. से. (2002), संचालक, नगरीय प्रशासन, संयुक्त सचिव, मुख्यमंत्री एवं संचालक, विमानन को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक संयुक्त सचिव, मुख्यमंत्री एवं संचालक, विमानन के प्रभार से मुक्त करते हुए प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ सड़क विकास निगम का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

2. श्री रजत कुमार, भा. प्र. से. (2005), संचालक, जनसंपर्क, मिशन संचालक, सर्व शिक्षा अभियान एवं प्रबंध संचालक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन को मिशन संचालक, सर्व शिक्षा अभियान एवं प्रबंध संचालक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन के प्रभार से मुक्त करते हुए अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक संयुक्त सचिव, मुख्यमंत्री एवं संचालक, विमानन का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

3. श्रीमती शम्मी आबिदी, भा. प्र. से. (2007) को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक मिशन संचालक, सर्व शिक्षा अभियान एवं प्रबंध संचालक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन के पद पर पदस्थ करता है.

4. श्री रविप्रकाश गुप्ता, भा. प्र. से. (2007), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, कोरबा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छत्तीसगढ़ के पद पर पदस्थ करता है. श्री रविप्रकाश गुप्ता, भा.प्र.से. (2007) द्वारा नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छत्तीसगढ़ का पदभार ग्रहण करने पर डॉ. कमलप्रीत सिंह, उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

5. श्री भोस्कर विलस सन्दीपन, भा. प्र. से. (2011), सहायक कलेक्टर, कबीरधाम को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक अनुविभागीय अधिकारी, कोरबा के पद पर पदस्थ करते हुए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, कोरबा का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपता है.

नया रायपुर, दिनांक 7 अक्टूबर 2014

क्रमांक एफ 1-72/2001/1-15.—राज्य शासन एतदद्वारा निम्नांकित उप वन संरक्षक स्तर के भारतीय वन सेवा अधिकारियों को वन संरक्षक, वेतनमान PB 4 : 37400-67000 एवं ग्रेड वेतन 8900 के पद पर पदोन्नत करता है :-

1. श्री एस. एल. साव (1998)
2. श्री पी. के. केशर (1999)

नया रायपुर, दिनांक 8 अक्टूबर 2014

क्रमांक ई-1-04-2014/1/2.—राज्य शासन एतदद्वारा श्री ईमिल लकड़ा, भा. प्र. से. (2004), कलेक्टर, जिला सुकमा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक संयुक्त सचिव, मंत्रालय के पद पर पदस्थ करता है.

2. श्री नीरज कुमार बंसोड़, भा. प्र. से. (2008), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बिलासपुर को आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला सुकमा के पद पर पदस्थ करता है.

3. श्री राजेश सिंह राणा, भा. प्र. से. (2008), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रायगढ़ को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक उप सचिव, मंत्रालय के पद पर पदस्थ करता है.

4. श्री भूरे सरवेश्वर नरेन्द्र, भा. प्र. से. (2011), अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पेण्ड्रा, जिला बिलासपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक अनुविभागीय अधिकारी (रा.), बिलासपुर के पद पर पदस्थ करते हुये मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बिलासपुर का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपता है.

5. श्री नीलेश कुमार महादेव क्षीरसागर, भा. प्र. से. (2011), अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सारंगढ़, जिला रायगढ़ को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक अनुविभागीय अधिकारी, रायगढ़ के पद पर पदस्थ करते हुए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रायगढ़ का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढांड, मुख्य सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 26 सितम्बर 2014

क्रमांक एफ 1-112/2001/एक/15.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री आर. के. गोवर्धन, भा. व. से. को दिनांक 27-11-2014 से 03-12-2014 तक कुल 07 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. राज्य शासन एतद्द्वारा श्री आर. के. गोवर्धन, भा. व. से. को भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के कार्यालयीन ज्ञापन क्रमांक 31011/4/2008-Estt.(A), दिनांक 23-09-2008 के अनुसार अधिकतम 10 दिवस का अर्जित अवकाश नगदीकरण (समर्पित) करने की अनुमति दी जाती है.

3. प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त समर्पित अवकाश का समायोजन, अधिकारी के अवकाश लेखा में किया जाकर आवश्यक प्रविष्टियां उनकी सेवा-पुस्तिका में कर दी गई है.

4. अवकाश से लौटने पर श्री गोवर्धन, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ के पद पर पुन. पदस्थ होंगे.

5. अवकाश अवधि में श्री गोवर्धन को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

6. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री गोवर्धन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 4 अक्टूबर 2014

क्रमांक एफ 7-22/2014/एक/15.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री संजय शुक्ला, आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर को दिनांक 27-10-2014 से 07-11-2014 तक कुल 12 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री शुक्ला, आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री शुक्ला को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शुक्ला अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एल. आदिले, उप सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 9 अक्टूबर 2014

क्रमांक एफ 8-5/2006/11/(6).—इंडियन बॉयलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा एन.टी.पी.सी. कोरबा के निम्नांकित बॉयलरों को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधनों के प्रवर्तन से अतिरिक्त छूट/छूट प्रदान करता है :—

क्र.	बायलर क्र.	छूट की समयावधि
1.	M.P./3569	दिनांक 01-09-2014 से 31-10-2014 (अतिरिक्त छूट)
2.	M.P./3825	दिनांक 26-08-2014 से 31-01-2015 तक

(1) संदर्भाधीन बॉयलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बॉयलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के विना संदर्भाधीन बॉयलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बॉयलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बॉयलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बॉयलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम रूप में जमा करायी जावेगी.

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. छबलानी, विशेष सचिव.

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 04 अक्टूबर 2014

क्रमांक एफ /01-10/2014/23.—विभागीय आदेश क्रमांक 26/2001/यो.आ. सां./23, दिनांक 10-01-2001 एवं क्रमांक एफ 8-7/2010/23/वि. यो., दिनांक 30-07-2010 के अनुक्रम में राज्य शासन एतद्द्वारा राज्य योजना आयोग, छत्तीसगढ़ का निम्नानुसार पुनर्गठन करता है :-

1. **अध्यक्ष** — डॉ. रमन सिंह, मान. मुख्यमंत्रीजी

2. **उपाध्यक्ष** — श्री सुनिल कुमार (सेवानिवृत्त आई. ए. एस.)

3. **शासकीय सदस्य**
   1. श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय,
      मान. मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा,
      राजस्व एवं आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग.
   2. श्री केदार कश्यप,
      मान. मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा, आदिम जाति/अनुसूचित
      जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग.
   3. श्री अजय चन्द्राकर,
      मान. मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, संस्कृति
      एवं पर्यटन एवं संसदीय कार्य विभाग.

4. **अशासकीय सदस्य**

1. डॉ. दामोदर आचार्य, भूतपूर्व अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् एवं पूर्व निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर, भुवनेश्वर.
2. डॉ. दिनेश के. मरोठिया, अध्यक्ष, राष्ट्रीय इकोलॉजी संस्थान नई दिल्ली, रायपुर.
3. श्री चेतन भगत, लेखक एवं प्रबंधन विशेषज्ञ, नई दिल्ली.
4. प्रो. एस. परशुरामन, निदेशक, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, मुंबई.

5. **पूर्ण कालीन सदस्य**

1. पदनाम से सदस्य सचिव.
2. श्री पी. पी. सोती, पूर्णकालिक सदस्य, रायपुर

6. **अंशकालीन सदस्य**

1. श्री तेजिन्दर सिंह लास्चर, अंशकालीन सदस्य

7. **स्थाई आमंत्रित**

1. मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
2. अपर मुख्य सचिव /प्रमुख सचिव/सचिव, छ. ग. शासन, योजना विभाग

2. उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर मान. अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य किसी विशेषज्ञ को आयोग की बैठकों में आमंत्रित किया जायेगा. पूर्णकालिक, अंशकालिक एवं अशासकीय सदस्यों की सेवा शर्तों/देय सुविधाओं का निर्धारण पृथक् से किया जावेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आलोक अवस्थी, संयुक्त सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 4 अक्टूबर 2014

क्रमांक एफ 7-36/2014/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (3) के प्रावधानों के तहत् प्रस्तुत कोण्डागांव विकास योजना 2031 का अनुमोदन करती है. कोण्डागांव विकास योजना, उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (4) के उपबंधों के अनुसार छत्तीसगढ़ राजपत्र में सामान्य जानकारी हेतु प्रकाशित की जा रही है.

2. कोण्डागांव विकास योजना 2031 की प्रति निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालयीन समय में निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेगी :-

1. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जगदलपुर (छ. ग.)
2. मुख्य नगर पालिक अधिकारी, नगर पंचायत परिषद्, कोण्डागांव, जिला कोण्डागांव (छ. ग.)
3. कलेक्टर, कोण्डागांव (छ. ग.).

3. छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधानों के तहत् छत्तीसगढ़ राजपत्र में उक्त सूचना के प्रकाशन के दिनांक से कोण्डागांव विकास योजना 2031 प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 4 अक्टूबर 2014

क्रमांक एफ 7-36/2014/32.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में कोण्डागांव विकास योजना 2031 इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 04-10-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 4th October 2014

No. F 7-36/2014/32.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 19 of Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 the State Government hereby accord approval to the Kondagaon Development Plan-2031 submitted by Directorate Town & Country Planning, Raipur under sub-section (3) of section 18 of said Adhiniyam. The same is being published in "Chhattisgarh Rajpatra" for general information as required by sub-section (4) of section 19 of the said Adhiniyam.

2. The copy of the approved Kondagaon Development Plan-2031 shall be available during office hours for inspection in the following offices :-

1. Dy. Director, Town & Country Planning, Jagdalpur (C.G.)
2. Nagar Panchayat Parishad, Kondagaon Distt. Kondagaon (C. G.)
3. Collector, Kondagaon (C. G.)

3. The Kondagaon Development Plan-2031 shall come into operation from the date of publication of the said notice in Chhattisgarh Rajpatra as per the provision of sub-section (5) of section 19 of Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973.

By Order in the name of the Governor of Chhattisgarh,
REGINA TOPPO, Joint Secretary.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 27 सितम्बर 2014

क्रमांक/7121/भू-अर्जन/2014.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम प. ह. न.	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	रेंगाकठेरा प.ह.नं. 14	0.036 हेक्टेयर	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, राजनांदगांव (छ. ग.)	घुमरिया नाला पर उच्च स्तरीय पुल पहुंच मार्ग हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 27 सितम्बर 2014

क्रमांक/7122/भू-अर्जन/2014.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम प. ह. नं.	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुरिया	नांदिया प.ह.नं. 31	0.077 हेक्टेयर.	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, राजनांदगांव (छ. ग.)	नांदिया-बरारमुण्डी मार्ग पर स्थित शिवनाथ नदी पर उच्च स्तरीय पुल पहुंच मार्ग हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 5 सितम्बर 2014

क्रमांक 17/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर (छ. ग.)

(ख) तहसील-कोटा

(ग) नगर/ग्राम-कंचनपुर, प. ह. नं. 15

(घ) लगभग क्षेत्रफल-08.64 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	30/4	0.50
	30/1, 31	0.45
	30/2	0.31
	29/2	0.52
	39	1.56
	40	0.25
	41	0.16
	461/2 ख	0.67
	461/2 ग	0.50
	461/3	0.40
	461/1	0.30
	465/10	0.44
	465/7	0.30
	465/6	0.30
	437/8	0.98
	532/1 झ	1.00
योग	17	8.64

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-आमामुड़ा व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत कंचनपुर माईनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सूरजपुर, दिनांक 29 सितम्बर 2014

रा. प्र. क्र. 02 अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सूरजपुर (छ. ग.)
- (ख) तहसील-सूरजपुर
- (ग) नगर/ग्राम-परशुरामपुर (राजापुर)
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.13 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
785	1.03
786	1.56
787	0.54
योग 3	3.13

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सोनपुर जलाशय की शाखा नहर, एप्रोच रोड एवं छुटी हुई भूमि हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी सूरजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सूरजपुर, दिनांक 29 सितम्बर 2014

रा. प्र. क्र. 03 अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सूरजपुर (छ. ग.)
- (ख) तहसील-सूरजपुर
- (ग) नगर/ग्राम-देवीपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.549 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1418	0.085
1419	0.208
1412	0.020
1415	0.030
1417	0.206
योग : 5	0.549

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सोनपुर जलाशय की शाखा नहर, एप्रोच रोड एवं छुटी हुई भूमि हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी सूरजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सूरजपुर, दिनांक 29 सितम्बर 2014

रा. प्र. क्र. 04 अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सूरजपुर (छ. ग.)

(ख) तहसील-सूरजपुर

(ग) नगर/ग्राम-त्रिपुरेशवरपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.78 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
77	0.224
86	0.376
88	0.070
87	0.048
79	0.064
89	0.030
90	0.28
91	0.10
92	0.20
117	0.08
118	0.088
119	0.001
120/2	0.047
122	0.096
126	0.088
127	0.128
129	0.096
171	0.083
172	0.029
173/3	0.06
174	0.080
173/2	0.06
175/3	0.09
175/2	0.09
175/1	0.09
170	0.040
168	0.10
165	0.040
193	0.010
546	0.024
164/1	0.06
504/1	0.09
164/2	0.24
178	0.05
180	0.05
507	0.020
541	0.080
620	0.024
181	0.050
508	0.040
183	0.090
182	0.045
621	0.026
185	0.120
189	0.005
196	0.150
443/3	0.090
441/1	0.025
453	0.064
444/2	0.025
452	0.09
454	0.090
478	0.148
479	0.010
500/1	0.096
616	0.033
456	0.038
506/1	0.06
506/2	0.02
543	0.040
545	0.064
549	0.070
573/1	0.08
573/3	0.080
573/2	0.080
173/1	0.060
613	0.06
575	0.064
574	0.096
606	0.128
612/2	0.070
615	0.053
120/1	0.047

	(1)	(2)
	120/3	0.047
योग	74	5.78

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पिउरी जलाशय की शाखा नहर, एप्रोच रोड एवं छुटी हुई भूमि हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी सूरजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सूरजपुर, दिनांक 29 सितम्बर 2014

रा. प्र. क्र. 05 अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सूरजपुर (छ. ग.)
- (ख) तहसील-सूरजपुर
- (ग) नगर/ग्राम-सोनपुर, तिलसरा/64
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.876/0.62 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1904	0.02
	1026	0.03
	1908	0.02
	1906	0.016
	1942	0.59
	1909	0.02
	1801	0.01
	1815	0.06
	1816	0.11
योग	9	0.876

नगर/ग्राम-तिलसरा

	712	0.61
	276/1	0.01
योग	2	0.62

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सोनपुर जलाशय की शाखा नहर, एप्रोच रोड एवं छुटी हुई भूमि हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी सूरजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. आर. चुरेन्द्र, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

संचालनालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा रायपुर (छ. ग.)

(ब्लाक-1, द्वितीय तल, इंद्रावती भवन, नया रायपुर)

नया रायपुर, दिनांक 1 अक्टूबर 2014

क्रमांक/एल. एफ. ए./प्रशा./2014/971.—छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय रायपुर के आदेश क्र./ई-1-04-2014/1/2 नया रायपुर, दिनांक 25-09-2014 के अनुक्रम में मैंने दिनांक 30-09-2014 को अपरान्ह में संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, रायपुर छत्तीसगढ़ का कार्यभार ग्रहण कर लिया है.

अतः स्थानीय निधि संपरीक्षा से संबंधित समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय व गोपनीय पत्रादि अद्योहस्ताक्षरकर्ता के नाम से संबोधित करने का कष्ट करें.

शहला निगार,
संचालक.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH BILASPUR

Bilaspur, the 9th October, 2014

No. 1042/II-1-1/2012/Confdl./2014.— Hon'ble Shri Justice Yatindra Singh, has relinquished charge of the office of Chief Justice of the High Court of Chhattisgarh on 08-10-2014 in the afternoon on the eve of His Lordship attaining the age of 62 years.

Bilaspur, the 9th October, 2014

No. 1044/II-1-3/2014/Confdl./2014.— It is hereby notified that pursuant to Notification No. K. 11019/01/2014- US. I dated 01st October, 2014 of the Government of India, Ministry of Law and Justice, (Department of Justice), New Delhi, Hon'ble Shri Justice Navin Sinha, senior-most Judge of the Chhattisgarh High Court shall perform the duties of the office of the Chief Justice of High Court of Chhattisgarh w.e.f. 09th October, 2014.

By Order of Hon'ble the acting Chief Justice,
ASHOK PANDA, Registrar General.